



Neutral Citation No. - 2026:AHC:124629

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 8386 वर्ष 2025

सचिन

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

अपीलकर्ता(गण) के अधिवक्ता : जयंत द्विवेदी, जितेंद्र प्रसाद मिश्रा

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : अक्षय मिश्रा, जी.ए., रफीक अहमद खान, जीशान मजहर

न्यायालय संख्या - 1

माननीय न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह

- हमने अपीलकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एन.आई. जाफरी के सहायक अधिवक्ता श्री जयंत द्विवेदी और जितेंद्र प्रसाद मिश्रा और राज्य के अधिवक्ता श्री जी.ए. श्री जयंत द्विवेदी और जितेंद्र प्रसाद मिश्रा की दलीलें सुनीं तथा अभिलेख का अवलोकन किया। मामले को संशोधित सूची में शामिल किए जाने के बावजूद, प्रतिपक्षी संख्या 2 की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14ए(2) के तहत यह आपराधिक अपील अपीलकर्ता-सचिन द्वारा थाना-खैर, जिला-अलीगढ़ में धारा 109 (1) बीएनएस, धारा 9/25/27 शस्त्र अधिनियम और धारा 3 (2) (वी) अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 312/2025 से संबंधित जमानत आवेदन संख्या 2717/2025 (सचिन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) के मामले में विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जनजाति) अधिनियम, अलीगढ़ द्वारा दिनांक 14 जुलाई, 2025 को मैं पारित जमानत अस्वीकृति आदेश को रद्द करने की प्रार्थना और अपीलकर्ता को उपरोक्त मामले में जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि घटना 25 मई, 2025 को लगभग रात 8:00 बजे घटी। शिकायतकर्ता का चचेरा भाई, चंद्रवीर, जो मेघ सिंह का पुत्र है, घर पर खाना खा रहा था। खाना खाते समय उसे एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया, जिसने उसे रिवर रोड पर रामेश्वर, जो कन्हैया का पुत्र है, के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा। खाना खाने के बाद शिकायतकर्ता का भाई वहाँ पहुँचा। चंद्रवीर के वहाँ पहुँचने के 10 मिनट बाद, एक चमकीले लाल रंग की बाइक आई, जिस पर दो व्यक्ति बैठे थे, एक अज्ञात और दूसरा सचिन (यहाँ अपीलकर्ता) था। आते ही उन्होंने चंद्रवीर पर गोली चला दी, जिससे एक गोली उसके कनपटी पर लगी। गोली लगने से उसका भाई जमीन पर गिर पड़ा। गोलीबारी की आवाज सुनकर कौशल और पुष्पेंद्र सहित आसपास के लोग वहाँ पहुँचे और उसके भाई को अलीगढ़ जिले के खैर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहाँ उसकी हालत गंभीर होने के कारण उसे जेएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। बाइक पर बैठे दो व्यक्तियों में से, उसके भाई ने सचिन नाम के एक व्यक्ति की स्पष्ट रूप से पहचान की है।

4. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट एक दिन बाद दर्ज की गई है, जिसका कोई तर्कसंगत स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, अपीलकर्ता सहित दोनों आरोपियों में से किसी को भी घायल पर गोली चलाने में कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है। चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, घायल को लगी चोटों पर कोई कालापन, झुलसन या टैटू नहीं है, जो अभियोजन पक्ष के मामले को झूठा साबित करता हो। 15 मई, 2025 को किए गए घायल के सिर के सीटी स्कैन के अनुसार, चोट घायल के मुंह पर पाई गई थी। चश्मदीनों के बयानों में विसंगतियां हैं। घायल की चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट की सामग्री से अभियोजन पक्ष का संस्करण संदिग्ध है, जिसमें 6 से 7 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोलीबारी का उल्लेख किया गया है। गवाहों और घायल के बयान विरोधाभासी हैं।

5. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि अभियोजन पक्ष के गवाह, अर्थात् पी.डब्लू 1, पी.डब्लू 2 और पी.डब्लू 3, जिनमें सूचना देने वाला-शिकायतकर्ता भी शामिल है, मुकदमे की सुनवाई के दौरान मुकर गए हैं और घायल व्यक्ति को आज तक अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में पेश नहीं किया गया है। न तो प्रथम सूचना रिपोर्ट में और न ही अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों में मकसद का उल्लेख किया गया है। अंत में, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि चूंकि अपीलकर्ता का वर्तमान मामले के अलावा कोई आपराधिक

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



रिकॉर्ड नहीं है और वह 29 मई, 2025 से जेल में है, जिसका अर्थ है कि वह एक वर्ष से अधिक समय जेल में बिता चुका है, इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए।

6. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान एजीए द्वारा दिए गए तर्कों का खंडन करते हुए, घायल ने धारा 161 द.प्र.सं./180 बीएनएसएस के तहत दर्ज बयान में स्पष्ट रूप से कहा है कि घटना रात 8:00 बजे से 8:15 बजे के बीच हुई होगी, जब वह चौराहे पर पहुंचा और जमुंका रोड पर चौराहे से चार-पांच कदम चला ही था कि दो लड़के आई-स्मार्ट मोटरसाइकिल पर पीछे से आए और मोटरसाइकिल चालक ने उसे जान से मारने की नीयत से पिस्तौल से गोली मारी। गोली उसके कनपटी के पास लगी। गोली लगते ही घायल जमीन पर गिर पड़ा और खून बहने लगा। गांव के जयवीर और रामप्रकाश उसके पास ही खड़े थे। जब उन्होंने शोर मचाया तो दोनों आरोपी मोटरसाइकिल पर बैठकर मौके से फरार हो गए। घायल ने गोली चलाने वाले सचिन (अपीलकर्ता) को पहचान लिया, क्योंकि वह उसे पहले से जानता था। उसने उसे जान से मारने की नीयत से गोली मारी थी। अगर पीछे बैठा सवार सामने आए तो घायल उसे भी पहचान सकता है।

7. विद्वान एजीए ने आगे कहा कि घायल का बयान ही अपीलकर्ता के खिलाफ मामला साबित करने के लिए पर्याप्त है। उन्होंने यह भी कहा कि घायल की चिकित्सा रिपोर्ट ने भी अभियोजन पक्ष के बयान का समर्थन किया है। इसके अलावा, 7 जून, 2025 को आरोपी-अपीलकर्ता की ओर से एक देसी पिस्तौल भी बरामद की गई है। दो चश्मदीदों, जयवीर सिंह और राम प्रकाश ने भी धारा 161 द.प्र.सं. के तहत दर्ज अपने बयानों में अभियोजन पक्ष के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने आगे कहा कि अभियोजन पक्ष के गवाहों, यानी पीडब्ल्यू 1 से पीडब्ल्यू 3 तक, जिन्होंने अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार मुकर गए, उनके बयान उपरोक्त सत्र सुनवाई के निष्कर्ष को पूरी तरह से प्रभावित नहीं कर सकते। इसलिए, राज्य के विद्वान एजीए का कहना है कि यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें आरोपी-अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा किया जा सके।

8. संबंधित दलीलों, मामले की समग्रता, विशेष रूप से घायल व्यक्ति और दो चश्मदीदों, जयवीर सिंह और राम प्रकाश के बयानों, घायल व्यक्ति की चिकित्सा रिपोर्ट और अपीलकर्ता द्वारा कथित रूप से बताए जाने पर बरामद देसी पिस्तौल को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय अपीलकर्ता सचिन को जमानत पर रिहा करने के लिए इच्छुक नहीं है।

9. तदनुसार, वर्तमान आपराधिक अपील में कोई दम नहीं है और इसे खारिज किया जाता है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह)

2 जून, 2026

सुशील/-

Translated Version. Not for Legal Use

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।